ए.

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंट, ठेकेदार, व्यापारी, परिवहन और आपूर्तिकर्ता

बनाम

मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, विमान मालिक और परिवहन ठेकेदार और ओ. आर. एस.

बी.

(2020 की सिविल अपील संख्या 4107)

18 दिसंबर, 2020

[रोहिंटन फाली नरीमन**,** नाविन सिन्हा और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

सी.

निविदा-कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने वित्तीय वर्ष के लिए सैनिकों और उपकरणों की ढुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों (ईंधन के बिना) की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टरों, पंजीकृत फर्मों/संघों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित कीं-चार पक्षों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं-निविदा उद्घाटन समिति ने पाया कि प्रत्यर्थी नं। 1 तकनीकी बोली की योग्यता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था-आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और सबसे कम बोली लगाने वाले होने के नाते, वाणिज्यिक वाहनों की आपूर्ति के लिए अनुबंध आवंटित किया गया था-प्रत्यर्थी सं. 1-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पाया कि अपीलकर्ता ने एक वैध सेवा लाइसेंस रखने की पात्रता शर्त को पूरा किया; 31 वाहन अपीलार्थी के स्वामित्व में थे, एक अन्य पात्रता शर्त को पूरा किया गया था-जहां तक कार्य अनुभव होने के पात्रता मानदंड का संबंध था, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि निविदा प्राधिकरण सबसे अच्छा न्यायाधीश था कि क्या ऐसी पात्रता शर्त वास्तव में संतुष्ट की गई थी, इसलिए एक न्यायिक हैंड-ऑफ अनिवार्य था-इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या की सभी तीन दलीलें। अपीलार्थी के खिलाफ उठाए गए 1 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था-हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने माना कि प्रत्यर्थी नं। 1 संतोषजनक शर्त सं। एन. आई. टी. के 31 को निविदा प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया था-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि 'एच. एम. वी./एल. एम. वी.' अभिव्यक्ति का अर्थ है कि एच. एम. वी. या एल. एम. वी. या दोनों प्रकार के वाहनों और प्रत्यर्थी संख्या का विवरण प्रस्तुत करने का विकल्प था। 1 ने तदनुसार बोली प्रस्तुत की थी-प्रत्यर्थी सं. 1 की बोली को

अस्वीकार करने में अधिकारियों की कार्रवाई। 1 दोनों प्रकार के वाहनों की सूची प्रस्तुत न करने के आधार पर तर्कहीन, मनमाना और विकृत है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःएक सरसरी

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1090 ए.

1091

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स और सप्लायर बनाम मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ए.

एन. आई. टी. की शर्त संख्या 31 पर नज़र डालने से पता चलेगा कि संदर्भित 30 वाहन 'दोनों एच. एम. वी./एल. एम. वी.' हैं-निविदा प्राधिकरण ने इस शर्त का अर्थ यह समझा है कि दोनों प्रकार के वाहनों, यानी एच. एम. वी. और एल. एम. वी. को प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत 30 वाहनों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता है-निर्णयों की एक श्रृंखला में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निविदा दस्तावेज के लेखक इसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, और इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में अदालत द्वारा इसकी व्याख्या का दूसरा अनुमान नहीं अपास्त करना चाहिए-तय किए गए कानून के अनुसार और निविदा प्राधिकरण की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राधिकरण द्वारा की गई व्याख्या थी।

बी.

सी.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.**एन**.** आई**.** टी**.** की स्थिति संख्या **31** पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलेगा कि जिन **30** वाहनों का उल्लेख किया गया है**,** वे **"**दोनों एच**.** एम**.** वी**./**एल**.** एम**.** वी**".** हैं।निविदा प्राधिकरण ने इस शर्त का अर्थ यह समझा है कि दोनों प्रकार के वाहनों**,** यानी एच**.** एम**.** वी**.** और एल**.** एम**.** वी**.** को प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत **30** वाहनों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता है।**[**पैरा **13] [1098-**ई**-**एफ**]**

ई.

2. निर्णयों की एक श्रृंखला में**,** इस न्यायालय ने माना है कि निविदा दस्तावेज का लेखक होने का अधिकार इसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है**,** और इस प्रकार**,** इसकी व्याख्या का न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दूसरा अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।**[**पैरा **14] [10968-**एफ**-**जी**]**

एफ.

प्रत्यर्थी **3** प्रत्यर्थी **.**प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी उप्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी न्यायालयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी णप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी औप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी धप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी णप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ृप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी **,**प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी डप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ठप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी औप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी **.**प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी **.**प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी **.**प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी **3** प्रत्यर्थी **1** प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी "प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी "प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी उप्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी

हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ।प्रत्यर्थी **1** गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया**,** अपास्त करना दिया गया।**[**पैरा **17] [1100-**डी-एफ**]**

जी.

एच.

1092 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 12 एस. सी. आर.

4. जहां तक एन**.** आई**.** टी**.** की शर्त संख्या **27** का संबंध है**,** कम से कम **5** वर्षों का कार्य अनुभव निर्धारित करना**,** जिसका मूल्य **5** करोड़ रुपये से कम न हो। **2** करोड़ के संबंध में**,** यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विशेषज्ञ निकाय**,** निविदा उद्घाटन समिति होने के नाते**,** जिसमें चार सदस्य शामिल थे**,** ने स्पष्ट रूप से पाया कि इस पात्रता शर्त को अपीलार्थी द्वारा संतुष्ट किया गया था।इसलिए इस न्यायालय को प्रदान किए गए दस्तावेजों के मूल्यांकन में जाने के बिना**,** यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब तक निविदा प्राधिकरण की ओर से मनमानेपन या दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया जाता है**,** तब तक किसी विशेष निविदा के विशेषज्ञ मूल्यांकन**,** विशेष रूप से जब तकनीकी मूल्यांकन की बात आती है**,** का अनुमान एक रिट न्यायालय द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए।**[**पैरा **18] [1100-**एफ**-**जी**]5.** यह मामला होने के कारण**,** यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि डिवीजन बेंच**,** अपने स्वयं के मूल्यांकन पर**,** इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि अपीलार्थी के पास केवल **1** वर्ष का कार्य अनुभव था**,** जिसने हमारी सदस्य निविदा उद्घाटन समिति के विशेषज्ञ के मूल्यांकन को अपने स्वयं के साथ प्रतिस्थापित किया।**[**पैरा **20] [1103-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनामनागपुर मेट्रो रेल

निगम लिमिटेड (2016) 16 एस. सी. सी. 818:[2016] 3 एससीआर

551; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनामएएमआर देव प्रभा

(2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 335; सिलप्पी निर्माण

ठेकेदार बनाम भारत संघ**, (2019)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1133;** जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य **(2007) 14** एस**.** सी**.** सी**. 517;** मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम। एनटीपीसी लिमिटेड**, (2016) 15** एससीसी **272:**

ई.

[2016] 8 एससीआर **224-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

[2016] 3 एससीआर **551**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

एफ.

(2007) 14 एस**.** सी**.** सी**. 517**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **18**

[2016] 8 एससीआर **224**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **19**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील सं. 4107।

जी.

2020 के एल. पी. ए. सं. 78 में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के दिनांक 16.10.2020 के निर्णय और आदेश से।

राणा मुखर्जी, अल्ताफ एच. नाइक, वरिष्ठ अधिवक्तागण , अदील अहमद, सुश्री कनिका शर्मा, आतिफ सुहरावर्दी, सैयद मेहदी इमाम, याज्ञवल्क्य सिंह, सुश्री शशि जुनेजा, सतीश पांडे, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

एच.

1093

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सप्लायर बनाम मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ए.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर**.** एफ**.** नरीमन**,** जे**.**

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में, पुलिस महानिरीक्षक, कश्मीर क्षेत्र, क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय कश्मीर, श्रीनगर ["जेड. पी. एच. एस".] ने हमारे सामने प्रत्यर्थी संख्या 4 होने के नाते, प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टरों, पंजीकृत फर्मों/संघों से वित्तीय वर्ष के लिए सैनिकों और उपकरणों की ढुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों (ईंधन के बिना) की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदाएं (ई-निविदाएं) आमंत्रित की हैं।एन. आई. टी. के अनुसार, 4 पक्ष, अर्थात् मैसर्स एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स; मैसर्स क्वारेशी ट्रांसपोर्ट कंपनी; मैसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सप्लायर ["अपीलार्थी "]; और मैसर्स न्यू जे. के. सड़क मार्ग, बेड़े के मालिकों और परिवहन ठेकेदारों ["जे. के. रोडवेज"] ने विचार के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं और उन्हें ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अपलोड किया गया।निविदा प्रक्रिया में एक तकनीकी बोली और एक वित्तीय बोली शामिल थी।निविदा उद्घाटन समिति ने 11.03.2020 पर बैठक की और पाया कि जेके रोडवेज, प्रत्यर्थी संख्या 1, और संबद्ध ठेकेदार तकनीकी बोली की योग्यता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, जिससे क्वारेशी ट्रांसपोर्ट कंपनी और अपीलार्थी को छोड़ दिया गया, जिन्हें अनुबंध के आवंटन के लिए तकनीकी रूप से योग्य माना जाता था।अपीलार्थी की वित्तीय बोली सबसे कम होने के कारण, दिनांक 30.03.2020 के एक आदेश के अनुसार, अपीलार्थी को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए वाणिज्यिक वाहनों की आपूर्ति का अनुबंध आवंटित किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

3. जे. के. रोडवेज द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में अनुबंध के आवंटन को रद्द करने की मांग की गई थी।श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ["एकल न्यायाधीश"] के समक्ष, जे. के. रोडवेज द्वारा अपीलार्थी की तकनीकी पात्रता के बारे में तीन तर्क दिए गए थे, जिनका निर्णय निम्नलिखित तरीके से दिनांकित 30.06.2020 के निर्णय द्वारा विद्वान गया थाः

एफ.

3 ए।सबसे पहले, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि हालांकि अपीलार्थी का सेवा लाइसेंस केवल 31.03.2020 तक वैध था, लेकिन उसने इसकी समाप्ति से पहले अपने सेवा लाइसेंस के विस्तार की मांग की थी।चूंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, इसलिए एक सामान्य आदेश दिनांक 30.03.2020 ["सामान्य आदेश"] जारी किया गया था, जिसके माध्यम से परिवहन सेवाओं से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता मानी गई थी।

जी.

इसे 30.06.2020 तक बढ़ाया जाएगा।यह मामला होने के कारण, जे. के. रोडवेज के खिलाफ इस तर्क का निर्णय लिया गया था, और यह माना गया था कि अपीलार्थी ने एक वैध सेवा लाइसेंस रखने की पात्रता शर्त को पूरा किया था।

3 बी।दूसरा, यह पाया गया कि अपीलार्थी के पास वास्तव में भारी मोटर वाहन ["एच. एम. वी".] और हल्के मोटर वाहन ["एल. एम. वी".] सहित 30 वाहन थे, क्योंकि 36 वाहनों की एक सूची निविदा प्राधिकरण जेड. पी. एच. एस. को प्रस्तुत की गई थी।चूंकि इस संबंध में असफल बोलीदाताओं द्वारा एक शिकायत की गई थी, इसलिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता का पता लगाने के लिए इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर ["एसएसपी"] को भेज दिया गया था।एसएसपी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पाया गया कि हालांकि 5 वाहन अपीलार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व में पाए गए थे, फिर भी 31 वाहन अपीलार्थी के स्वामित्व में थे, जिसके परिणामस्वरूप पात्रता की शर्त पूरी हो गई थी।यह भी पाया गया कि जहां तक 1 वाहन का संबंध है, यह वास्तव में अपीलार्थी के स्वामित्व में था क्योंकि वाहन की पंजीकरण संख्या में टंकण संबंधी त्रुटि थी।

बी.

सी.

डी.

3 सी।तीसरा, जहां तक कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होने की पात्रता मानदंड की बात है, वह रुपये से कम नहीं है। 2 करोड़ रुपये के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि 2014 से 2018 तक के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे और चूंकि निविदा प्राधिकरण सबसे अच्छा न्यायाधीश था कि क्या ऐसी पात्रता शर्त वास्तव में संतुष्ट की गई थी, इसलिए एक न्यायिक हैंड-ऑफ अनिवार्य था।

ई.

3 डी।अंत में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकालाः“16. पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुबंध उस वर्ष के लिए है, जो पहले ही 1 अप्रैल, 2020 से शुरू हो चुका है, सार्वजनिक हित गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा यदि उत्तरदाताओं को अनुबंध को निष्पादित करने की

अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 5 की बोली सबसे कम थी।इसलिए, यह जनहित में है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 के पक्ष में अनुबंध के आवंटन में हस्तक्षेप न किया जाए, जिसने तकनीकी बोली में निर्धारित मानदंडों को पूरा किया क्योंकि उसने एच. एम. वी. और एल. एम. वी. वाहनों की सूची प्रस्तुत की थी जो निविदा की सबसे आवश्यक शर्त थी।इस प्रकार, याची के पास ए

एफ.

जी.

एच.

1095

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सप्लायर बनाम मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

अयोग्य पाए जाने पर अब प्रत्यर्थी संख्या 5 को अनुबंध के आवंटन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि याची समान रूप से स्थित नहीं है।"

4. जे. के. रोडवेज ने श्रीनगर ["डिवीजन बेंच"] में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक लेटर पेटेंट अपील दायर की।दिनांक 16.10.2020 के विवादित निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने अभिलिखित कियाः

बी.

"14) यद्यपि अपीलार्थी ने अभी तक दलीलों के दौरान अपील में कई आधार उठाए हैं, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मुख्य जोर निम्नलिखित आधारों पर थाः

सी.

(I) कि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने अपीलार्थी की बोली को इस आधार पर अस्वीकार करना उचित नहीं माना कि उसने केवल भारी मोटर वाहनों की सूची प्रस्तुत की थी और सूची में हल्के मोटर वाहनों का विवरण नहीं था;

डी.

(II) कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को वाहनों की आपूर्ति में अपेक्षित अनुभव की कमी के बावजूद अनुबंध प्रदान किया गया था, जो कार्रवाई एक योग्य बोलीदाता के बहिष्कार के लिए एक अयोग्य बोलीदाता के पक्ष में अनुबंध देने के बराबर है।"

5. एन. आई. टी. की शर्त संख्या 31 निर्धारित करने के बाद, खंड पीठ ने निष्कर्ष निकालाः

ई.

“16) उपरोक्त शर्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने निविदा सूचना तैयार करते समय "एच. एम. वी./एल. एम. वी". शब्द का उपयोग किया है जिसका अर्थ है कि एक निविदाकार के पास एच. एम. वी. या एल. एम. वी. या दोनों प्रकार के वाहनों का विवरण प्रस्तुत करने का विकल्प था।"एचएमवी/एलएमवी" अभिव्यक्ति को कोई अन्य निर्माण नहीं दिया जा सकता है।यदि आधिकारिक उत्तरदाता चाहते हैं कि एक निविदाकर्ता के पास दोनों प्रकार के वाहन यानी एच. एम. वी. और एल. एम. वी. होने चाहिए, तो वे निविदा सूचना में एच. एम. वी. और एल. एम. वी. के बीच आसानी से "और" शब्द का उपयोग कर सकते थे।यहाँ ऐसा नहीं है।इस प्रकार, यदि अपीलार्थी ने केवल भारी मोटर वाहनों की सूची प्रस्तुत की है, तो उसने वही किया है जो एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति ऊपर उद्धृत निविदा शर्त से गुजरने पर करेगा।दोनों प्रकार की सूची प्रस्तुत न करने के आधार पर अपीलार्थी की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने की आधिकारिक उत्तरदाताओं की कार्रवाई

एफ.

जी.

एच.

इसलिए, वाहन तर्कहीन, मनमाना और विकृत है।इसलिए, इस संबंध में अपीलार्थी का तर्क सार से भरा है और स्वीकार किए जाने योग्य है।

17) श्री बी. ए. डार, सीनियर ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया है कि निविदा सूचना की शर्त में "एच. एम. वी./एल. एम. वी. दोनों" कहा गया है जिसका अर्थ है कि निविदाकारों को एच. एम. वी. और एल. एम. वी. दोनों वाहनों का विवरण प्रदान करना था।इसके विपरीत, अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि वही अपीलार्थी उसी शर्त के संबंध में पात्र पाया गया था और उसे पिछले पांच वर्षों के लिए वही काम दिया गया था जो संतोषजनक रूप से पूरा विद्वान गया था।

बी.

18) हम श्री ए. ए. जी. के प्रस्तुत करने से सहमत नहीं हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यदि उत्तरदाताओं को एच. एम. वी. और एल. एम. वी. दोनों वाहनों के विवरण के प्रावधान की आवश्यकता होती, तो उन्होंने उनके बीच "और" रखा होता।ऐसा नहीं किया गया है।”

सी.

6. नतीजतन, डिवीजन बेंच ने पाया कि जे. के. रोडवेज, एन. आई. टी. की शर्त संख्या 31 को संतुष्ट करने के बाद, निविदा प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जहां तक एन. आई. टी. की शर्त संख्या 27 के तहत कम से कम 5 वर्षों के कार्य अनुभव की आवश्यकता का संबंध है, डिवीजन बेंच ने पाया कि अपीलार्थी को वर्ष 2014 और 2015 में केवल कुछ महीनों के लिए वाहनों की आपूर्ति करने का अनुभव था और इसलिए, अपीलार्थी को केवल 1 वर्ष के लिए वाहनों की आपूर्ति करने का कार्य अनुभव रखने वाला कहा जा सकता है। इस प्रकार, एन. आई. टी. की शर्त संख्या 27, एक आवश्यक शर्त होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा पूरी नहीं की गई।परिणामस्वरूप, एकल न्यायाधीश दिनांक 1 के निर्णय को अपास्त करना दिया गया और अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया गया।आधिकारिक उत्तरदाताओं को डिवीजन बेंच के आदेश की तारीख से 1 महीने की अवधि के भीतर नई निविदाएं आमंत्रित करने और प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

डी.

ई.

एफ.

7. 04.11.2020 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी कियाः“नोटिस जारी करें।

उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक होगी।

जी.

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा।इसी तरह, राज्य द्वारा दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाना है।इसके एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दें।”

एच.

1097

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सप्लायर बनाम मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

8. इस न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने अब तक दिए गए कार्य को निष्पादित करना जारी रखा है, अनुबंध अवधि को पूरा करने के लिए लगभग 3 महीने शेष हैं।

9. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी ने तर्क दिया कि खंड पीठ दोनों मामलों विद्वान गलत थी।उनके अनुसार, एन. आई. टी. की शर्त संख्या 31 के एक सादे पठन

से पता चला कि "एच. एम. वी./एल. एम. वी. दोनों" की आपूर्ति की जानी थी, और क्योंकि जे. के. रोडवेज ने केवल एच. एम. वी. की एक सूची की आपूर्ति की थी, यह स्पष्ट रूप से अयोग्य था।इसके अलावा, उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि जो प्राधिकरण निविदा जारी करता है, वह सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि निविदा की शर्त को कैसे पढ़ा जाना चाहिए।तदनुसार, खंड पीठ ने निविदा प्राधिकरण की व्याख्या के विपरीत एन. आई. टी. की पात्रता शर्तों को समझने में अपनी छाप छोड़ी।जहाँ तक कार्य अनुभव की स्थिति का संबंध है, उन्होंने वित्तीय वर्षों के कार्य अनुभव प्रमाणपत्रों को आई. डी. 2 से आई. डी. 1 में बदल दिया, जिससे पता चलता है कि अपीलार्थी के पास आवश्यक कार्य अनुभव था, जिसे निविदा उद्घाटन समिति को भी दिखाया गया था, जिसने बदले में, एक निविदा जांच रिपोर्ट में भी यही दिखाया था, जिससे पता चलता है कि उसने अपीलार्थी को तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता बनाने में अपना दिमाग लगाया था।सेवा अनुज्ञप्ति के संबंध में, श्री मुखर्जी ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों पर भरोसा किया और कहा कि चूंकि इस तर्क को खंड पीठ के समक्ष छोड़ दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय को इस बिंदु को फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

10. जे. के. रोडवेज की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अल्ताफ एच. नाइक ने एकल न्यायाधीश के समक्ष की गई तीन दलीलों को दोहराया और यह तर्क भी दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रदान किए गए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र "गैलेक्सी एजेंसियों" के नाम पर थे और इसलिए, अपीलार्थी के श्रेय में नहीं गिना जा सकता है।उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि अपीलार्थी के पास प्रासंगिक अवधि के लिए सेवा लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस 31.03.2020 पर समाप्त हो गया था और सामान्य आदेश द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया था, जब ठीक से पढ़ा गया था।इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा नहीं किया गया था।समान रूप से, खंड पीठ का यह कहना सही था कि जहां तक कार्य अनुभव की आवश्यकता का संबंध है, अपीलार्थी के पास केवल 1 वर्ष का अनुभव है, जो एन. आई. टी. की आवश्यक आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। अंत में, उन्होंने एन. आई. टी. की शर्त संख्या 27 के पढ़ने पर जे. के. रोडवेज के योग्य होने पर भी प्रस्तुतियाँ दी।

एफ.

जी.

एच.

11. श्रीमती. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील शशि जुनेजा ने अपीलार्थी के पक्ष में अनुबंध देने का समर्थन किया और कहा कि एन. आई. टी. की शर्त संख्या 27 के निर्माण में खंड पीठ गलत थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि निविदा उद्घाटन समिति, एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते और अपीलार्थी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद, अब उच्च न्यायालय के फैसले से दूसरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, सबसे पहले एन. आई. टी. के "नियम और शर्तें/योग्यता मानदंड" निर्धारित करना आवश्यक है।एन. आई. टी. की शर्त संख्या 27 और 31, जो इस मामले के लिए महत्वपूर्ण हैं, निम्नानुसार बताती हैंः

बी.

सी.

" नियम और शर्तें/योग्यता मानदंड

XXX XXX XXX

27. फर्म/एसोसिएशन के पास दस्तावेजी प्रमाण के साथ कम से कम पांच साल का कार्य अनुभव होगा और काम 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।

डी.

XXX XXX XXX

31. फर्म/निविदाकर्ता के पास एच. एम. वी./एल. एम. वी. दोनों वाहनों के कम से कम 30 एन. ओ. एस. होने चाहिए और दस्तावेजी प्रमाण के साथ फर्म के साथ 200 वाहन संलग्न होने चाहिए।"

ई.

13. एन. आई. टी. की स्थिति संख्या 31 पर एक सरसरी नज़र डालने से भी पता चलता है कि जिन 30 वाहनों का उल्लेख किया गया है, वे "दोनों एच. एम. वी./एल. एम. वी". हैं।निविदा प्राधिकरण ने इस शर्त का अर्थ यह समझा है कि दोनों प्रकार के वाहनों, यानी एच. एम. वी. और एल. एम. वी. को प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत 30 वाहनों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता है।

एफ.

14. निर्णयों की एक श्रृंखला में, इस न्यायालय ने माना है कि निविदा दस्तावेज का लेखक होने का अधिकार इसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है, और इस प्रकार, इसकी व्याख्या का न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दूसरा अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।एफकॉन्स में

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनामनागपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड**, 2016**

जी.

(16) एस. सी. सी. 818, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः“15. हम यह जोड़ सकते हैं कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता, जिसने निविदा दस्तावेज लिखे हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने और उसके दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है।संवैधानिक न्यायालयों को इस ए को स्थगित करना चाहिए

एच.

1099

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सप्लायर बनाम मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

निविदा दस्तावेजों की समझ और मूल्यांकन, जब तक कि समझ या प्रशंसा या निविदा शर्तों की शर्तों को लागू करने में दुर्भावना या विकृति न हो।यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों को एक व्याख्या दे सकता है जो संवैधानिक अदालतों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह अपने आप में दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है।”

बी.

(पृष्ठ 825)

(जोर दिया गया)

15. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मामले में निर्णय में।ए. एम. आर. देव प्रभा 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 335, शीर्षक के तहत

सी.

प्राधिकरण की व्याख्या ", इस न्यायालय ने कहाः

“51. अंत में, हम एक और बुनियादी समस्या से निपटना आवश्यक समझते हैं।यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 केवल एन. आई. टी. की शर्तों को लागू करना चाहता है। इस तरह के अभ्यास में अंतर्निहित संविदात्मक शर्तों की व्याख्या है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए

कि वाणिज्य के क्षेत्र में अनुबंधों की न्यायिक व्याख्या क़ानूनों की व्याख्या करने की तुलना में एक अलग आधार पर होती है।

डी.

52. वर्तमान तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि बी. सी. सी. एल. और भारत ने एन. आई. टी. के खंडों का सहारा लिया है, चाहे वह प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में प्रत्यर्थी संख्या 6 की देरी को माफ करने या तकनीकी विफलता के आधार पर नीलामी को फिर से शुरू करने के उनके निर्णय को सही ठहराने के लिए हो।बी. सी. सी. एल. इन दस्तावेजों को लिखने के बाद, उनकी आवश्यकताओं की सराहना करने और उनकी व्याख्या करने के लिए बेहतर स्थिति में है। (एफ़कॉन्स

ई.

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2016) पैरा 15 पर 16 एस. सी. सी. 818)

एफ.

53. उच्च न्यायालय को इस समझ को स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से विकृत या दुर्भावनापूर्ण न हो।यह देखते हुए कि इन खंडों की बी. सी. सी. एल. की व्याख्या कैसे प्रशंसनीय थी और बेतुकी नहीं थी, केवल संविदात्मक व्याख्या की राय में मतभेद उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर आने का आधार नहीं होना चाहिए था कि अपीलार्थी ने अवैधता की थी।"

जी.

(जोर दिया गया) 16।इसके अलावा, सिलप्पी कंस्ट्रक्शंस में हाल के फैसले में

ठेकेदार बनाम भारत संघ, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1133, यह

न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

एच.

"20. ऊपर उल्लिखित निर्णयों में निर्धारित कानून का सार संयम और सावधानी का प्रयोग है; राज्य के उपकरणों से जुड़े अनुबंध के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए भारी

सार्वजनिक हित की आवश्यकता है; न्यायालयों को विशेषज्ञों की राय को तब तक रास्ता देना चाहिए जब तक कि निर्णय पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न हो; न्यायालय उचित प्राधिकरण पर अपील की न्यायालय की तरह नहीं बैठती है; न्यायालय को यह महसूस करना चाहिए कि निविदा जारी करने वाला प्राधिकरण अपनी आवश्यकताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश है और इसलिए, न्यायालय का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए।जो प्राधिकरण अनुबंध या निविदा जारी करता है, और जिसने निविदा दस्तावेज लिखे हैं, वह सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि दस्तावेजों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए।यदि दो व्याख्याएँ संभव हैं तो लेखक की व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए।अदालतें केवल मनमानेपन, तर्कहीनता, पूर्वाग्रह, दुर्भावना या विकृति को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेंगी।इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान मामले से निपटेंगे।"

बी.

सी.

(जोर दिया गया) 17.इन निर्णयों के अनुसार और यह देखते हुए कि इस मामले में निविदा प्राधिकरण की व्याख्या को विकृत नहीं कहा जा सकता है, खंड पीठ को अपनी व्याख्या देकर और एन. आई. टी. की शर्त संख्या 31 में दिखाई देने वाले "दोनों" शब्द को उचित विश्वास न देकर इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इस कारण से, खंड पीठ के निष्कर्ष कि जे. के. रोडवेज को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था, को अपास्त करना दिया जाता है।

डी.

ई.

18. जहां तक एन. आई. टी. की शर्त संख्या 27 का संबंध है, कम से कम 5 वर्षों का कार्य अनुभव निर्धारित करना, जिसका मूल्य 5 करोड़ रुपये से कम न हो। 2 करोड़ के संबंध में, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विशेषज्ञ निकाय, निविदा उद्घाटन समिति होने के नाते, जिसमें चार सदस्य शामिल थे, ने स्पष्ट रूप से पाया कि इस पात्रता शर्त को हमारे समक्ष अपीलार्थी द्वारा संतुष्ट किया गया था।इसलिए इस न्यायालय को प्रदान किए गए दस्तावेजों के मूल्यांकन में जाने के बिना, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब तक निविदा प्राधिकरण की ओर से मनमानेपन या दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया जाता है, तब तक किसी विशेष निविदा के विशेषज्ञ मूल्यांकन, विशेष रूप से जब तकनीकी मूल्यांकन की बात आती है, का अनुमान एक रिट न्यायालय द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए।इस प्रकार, जगदीश मंडल में

एफ.

जी.

बनाम उड़ीसा राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 517, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

“22. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन, तर्कहीनता, अनुचितता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकना है।

एच.

1101

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सप्लायर बनाम मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या विकल्प या निर्णय "कानूनी रूप से" किया गया है और यह जांचना नहीं है कि विकल्प या निर्णय "सही" है या नहीं।जब निविदाओं या अनुबंधों के पुरस्कार से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है।निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं।समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक दूरी पर रहते हैं।यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और जनहित में है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही किसी निविदाकर्ता के लिए प्रक्रियात्मक विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या पूर्वाग्रह बनाया गया हो।न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हित की रक्षा करने या संविदात्मक विवादों पर निर्णय लेने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायत वाला निविदाकर्ता या ठेकेदार हमेशा दीवानी न्यायालय में हर्जाने की मांग कर सकता है।काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकारों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए, कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के मोलहिल से पहाड़ बनाने के लिए, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया जाना चाहिए।इस तरह के हस्तक्षेप, या तो अंतरिम या अंतिम, सार्वजनिक कार्यों को वर्षों तक रोक सकते हैं, या हजारों और लाखों लोगों को राहत और सहायता में देरी कर सकते हैं और परियोजना की लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं।इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए निविदा या संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिएः(i) क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी का पक्ष लेने का इरादा है;

बी.

सी.

डी.

ई.

या

एफ.

क्या अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि न्यायालय कह सकती हैः“निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी जो उचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य कर रहा हो, उस तक नहीं पहुंच सकता था।

((ii) क्या जनहित प्रभावित होता है।

जी.

यदि उत्तर नकारात्मक हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।किसी निविदाकार/ठेकेदार को काली सूची में डालने या दंडात्मक परिणाम लागू करने या राज्य अनुदान (साइटों/दुकानों का आवंटन, लाइसेंसों का अनुदान) के वितरण से जुड़े मामले,

एच.

डीलरशिप और फ्रेंचाइजी) एक अलग आधार पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई में उच्च स्तर की निष्पक्षता की आवश्यकता हो सकती है।”

(पृष्ठ 531-532)

(जोर दिया गया)

19. इसी तरह, मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम.एनटीपीसी लिमिटेड, 2016 (15)

बी.

एस. सी. सी. 272, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः“26. हम कानून के उपरोक्त कथन से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।हमारे पास ऐसा करने के कारण हैं।वर्तमान परिदृश्य में, निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और अत्यधिक जटिल तकनीकी विषयों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।इसके लिए काम की प्रकृति और इसके उद्देश्य की समझ और सराहना की आवश्यकता होती है।प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक क्षेत्र में यह आम जानकारी है कि निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार तकनीकी बोलियों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है और कभी-कभी मालिक के संगठन से असंबद्ध लोगों से तीसरे पक्ष की सहायता ली जाती है।यह वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करता है।निविदाकर्ता की विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता और क्षमता का

मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए।वित्तीय मूल्यांकन के मामलों में सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जांचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीकी क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता में उत्साह है और वे व्यवहार्य और यथार्थवादी हैं।एक बहु-आयामी जटिल दृष्टिकोण है; प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी।जिन निविदाओं में सार्वजनिक धन को नीलामी के लिए रखा जाता है, वे एक अलग डिब्बे में खड़े होते हैं।जिस निविदा से हम संबंधित हैं, उसकी आवंटन के लिए किसी भी योजना से तुलना नहीं की जा सकती है।जिस क्षेत्र का हमने उल्लेख किया है, उसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।लागू किए गए मापदंड अलग-अलग हैं।इसका उद्देश्य निष्पादन और समय अनुसूची के पालन में उच्च स्तर की पूर्णता प्राप्त करना है।लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि ये निविदाएं न्यायिक समीक्षा की जांच से बच जाएंगी।यदि दृष्टिकोण मनमाना है या दुर्भावनापूर्ण है या अपनाई गई प्रक्रिया किसी के पक्ष में है तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि उक्त विकृतियों को दूर रखा गया है।लेकिन जहां कोई निर्णय लिया जाता है जो स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज की भाषा के अनुरूप होता है या उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए निविदा जारी की जाती है, न्यायालय को संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।न्यायालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन या तुलना अस्वीकार्य होगी। वह सिद्धांत जो अन्य ए में अनुबंध से संबंधित एक साधारण उपकरण को स्कैन करने और समझने के लिए लागू किया जाता है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1103

मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सप्लायर बनाम मेसर्स न्यू जे. के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

तकनीकी कार्यों और विशेष कौशल की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों की व्याख्या और सराहना करने की तुलना में क्षेत्रों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।मालिक को उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और जोड़ों में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति होनी चाहिए।”

(पृष्ठ 288) 20.यह मामला होने के कारण, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि डिवीजन बेंच, अपने स्वयं के मूल्यांकन पर, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि अपीलार्थी के पास केवल 1 वर्ष का कार्य अनुभव था, जिसने विशेषज्ञ चार सदस्यीय निविदा उद्घाटन समिति के मूल्यांकन को अपने स्वयं के साथ प्रतिस्थापित किया।

बी.

सी.

21. जैसा कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुखर्जी ने सही बताया था, अपेक्षित अवधि के लिए अपीलार्थी के सेवा लाइसेंस की अयोग्यता के बारे में तर्क डिवीजन बेंच के समक्ष तर्क दिया गया प्रतीत नहीं होता है, हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पहले तर्क दिया गया था और खारिज कर दिया गया था।यह मामला होने के कारण, हम नहीं सोचते कि इस अपील के दायरे को ऐसे किसी भी बिंदु को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जिसे डिवीजन बेंच के समक्ष छोड़ दिया गया प्रतीत होता है।22. इसके अलावा, यह तर्क कि अपीलार्थी ने "गैलेक्सी एजेंसियों" के नाम पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जो "गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी" से एक अलग इकाई है, एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच के समक्ष तर्क नहीं दिया गया है।इस स्थिति में हम इस बात को भी खारिज करते हैं।

डी.

ई.

23. इसलिए डिवीजन बेंच के दिनांकित 16.10.2020 के फैसले को अपास्त करना दिया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 30.06.2020 के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

एफ.

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा किया गया।

जी.

एच.